275

संख्या: CM-38 / IV(2) / 2012–20 (को0के0)-11

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

2– निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4– मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम,
देहरादून / हरिद्वार / हल्द्वानी–काठगोदाम।

5– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 20 जुलाई, 2012

विषय :स्थानीय नगर निकायों हेतु उत्तराखण्ड शौचालय नीति गठित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य धार्मिक पर्यटन एवं अन्य प्रकार की पर्यटन गतिविधियों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य है, परन्तु राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा सरलता एवं सुविधापूर्ण ढंग से प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस समस्या के निदान के लिए नगर निकायों के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण, रख–रखाव एवं संचालन आदि में सुधार लाने हेतु इसको विनियमित करने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय शौचालय नीति"** गठित की जा रही है। इस नीति के बिन्दु निम्नवत हैं:–

(1) **आवश्यकता के अनुरूप शौचालयों की संख्या का आंकलन एवं स्थानों का चिन्हांकन**– प्रत्येक नगर निकाय, निकाय की जनसंख्या, निकाय के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों की संख्या के आधार पर आवश्यक शौचालयों की संख्या का आंकलन करेंगे। इस आंकलन के आधार पर नए शौचालयों के निर्माण का आंकलन किया जाएगा। नगर निकाय के भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों की पृथक से पहचान नगर निकाय द्वारा की जाएगी, जहां पर उपलब्ध शौचालयों तथा आवश्यकताओं का सम्यक आंकलन कर नए शौचालयों के निर्माण का निर्णय लिया जाएगा।

(2) **शौचालयों के निर्माण हेतु वित्त पोषण**– शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था निम्न वरीयताओं के आधार पर की जाएगी:–

1. नगर निकाय की स्व–आय तथा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान।
2. पी0पी0पी0 मोड।
3. हुडको आदि संस्थाओं से ऋण।

(3) **शौचालयों का संचालन**– नगर निकाय नवीन निर्मित किए जा रहे शौचालयों के संचालन हेतु खुली निविदा के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत खुली निविदा आमंत्रित करेंगे। .

(4) निविदा द्वारा आवंटन का आधार– उक्त निविदा तकनीकी एवं वित्तीय दोनों आधारों पर आमंत्रित की जाएगी। तकनीकी निविदा के अन्तर्गत शौचालयों के संचालन का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा वित्तीय निविदा के अन्तर्गत शौचालय के संचालन के उपरान्त प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी को आधार बनाया जाएगा।

(5) शौचालयों का रख–रखाव एवं सफाई आदि के मानकों का निर्धारण– नगर निकाय द्वारा शौचालयों के रख–रखाव एवं अपेक्षित सफाई के निश्चित मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। उक्त मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्था न करने पर नगर निकाय द्वारा कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य निरस्त करने हेतु नगर निकाय सक्षम होंगे।

3– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त नगर निकाय अपनी सीमा के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण, रख–रखाव एवं संचालन आदि हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्याः एम-38/IV(2)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
2– निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
5– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

( सुभाष चन्द्र )
उप सचिव।